

प्रेषक,

डॉ० रजनीश दुबे,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2021

विषय-नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उ०प्र० के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्य कराये जाने हेतु कार्य/परियोजना का चयन, आगणन तैयार कराने, बजट निर्धारण, प्रशासनिक स्वीकृति डी०पी०आर० गठित कराने एवं तकनीकी स्वीकृति आदि के लिये वर्तमान में कोई मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) विद्यमान नहीं है। अतः नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों को कराये जाने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) का निर्धारण किया गया है (प्रति संलग्न)।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में भविष्य में भविष्य में कार्य/परियोजना का चयन, आगणन तैयार कराने, बजट निर्धारण, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आदि के लिये कार्यवाही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) के आधार पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इससे कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी तथा गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
(डॉ० रजनीश दुबे)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. नगर विकास अनुभाग-5/7/8।
3. सहायक वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों (नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत) में  
निर्माण / विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

1. परियोजना / कार्य के चयन एवं क्रियान्वयन-

- 1.1- सामान्य सिद्धान्त- किसी कार्य का आगणन उसी दशा में तैयार किया जाना चाहिए जिसके लिए नगर पालिका के बजट में प्रावधान उपलब्ध हो तथा सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई हो।
- 1.2- कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य क्रियान्वित किये जाने हेतु निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए समुचित प्राविधानों का समावेश कर अनुबन्ध गठित करने के पश्चात् ही किसी कार्य को स्थल पर आरम्भ किया जाना चाहिए।
- 1.3- सामान्य प्रक्रिया में निर्माण कार्यों के आगणन का गठन वाछिंत विशिष्टियों, डिजाईन, ड्राइंग के अनुसार विस्तृत मापन के उपरान्त लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों / स्वीकृत दरों के अनुसार होना चाहिए जिससे निर्माण के दौरान पुनः अतिरिक्त मदों की मात्रा में विचलन की स्थिति उत्पन्न न हो तथा किसी भी दशा में यह विचलन 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

2. कार्य की आगणन स्वीकृति से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया-

- कार्य / परियोजना का चयन
  - आगणन तैयार करना
  - बजट निर्धारण एवं प्रशासनिक स्वीकृति
- 2.1 अधिशासी अधिकारी के माध्यम से निर्माण / विकास कार्य के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विवरण पत्र प्राप्त होने पर निकाय के सहायक / अवर अभियन्ता को स्वयं स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने के साथ कार्य के औचित्य के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत करनी होगी तथा कार्य का आगणन तैयार करना होगा।
- 2.2 सहायक / अवर अभियन्ता द्वारा कार्य / परियोजना के प्रारम्भिक प्रस्ताव की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित अभियन्ता द्वारा आगणन तैयार किया जायेगा, जिस योजना अन्तर्गत उक्त कार्य का वित्त

पोषण प्रस्तावित है, उपरोक्त योजना की मार्ग दार्शिका/सुसंगत दिशा-निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्य की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाएगी। मार्ग प्रकाश एवं खडंजे, इंटरलाकिंग टाइल्स एवं अधिकतम एक मीटर चौड़ाई तक की नाली की श्रेणी में कराये जाने वाले कार्यों से इतर प्रकार/श्रेणी के निर्माण कार्यों के विषयगत प्रारम्भिक आगणन 10 लाख से अधिक होने पर आगणन की फिजिबिलिटी और औचित्य पर विचार हेतु यथा सम्भव एक Project Appraisal Committee का गठन किया जाना चाहिये, जिसका स्वरूप निम्नवत् हो-

- |    |                                                                                                                                 |   |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1. | अधिकासी अधिकारी                                                                                                                 | - | अध्यक्ष    |
| 2. | प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय द्वारा नामित अभियन्ता<br>(नगर पालिका के लिये सहायक अभियन्ता<br>व नगर पंचायत के लिए अवर अभियन्ता) | - | सदस्य      |
| 3. | लेखा विभाग के प्रतिनिधि                                                                                                         | - | सदस्य      |
| 4. | नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों<br>में कार्यरत सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता-                                                       |   | सदस्य सचिव |

यह समिति आगणन की फिजिबिलिटी एवं औचित्य पर विचार करते हुए सुसंगत योजना में वर्णित प्राविधान के अनुरूप (स्वीकृति प्राप्त करने के विषयगत) सक्षम स्तर पर अपनी संस्तुति प्रेषित करेगी।

### 2.3 निकाय में कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रक्रिया होगी-

2.3.1 निकाय द्वारा मार्ग-प्रकाश, खडंजे, इंटरलाकिंग टाइल्स एवं अधिकतम एक मीटर चौड़ाई तक की नाली की श्रेणी में कराये जाने वाले कार्य किसी भी सीमा तक, सक्षम स्तर की स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए स्वयं सम्पादित कराये जा सकेंगे।

उपरोक्त श्रेणी के कार्यों को छोड़ते हुए अन्य प्रकार के कार्यों में अधिकतम रू0 40 लाख तक के कार्य ही निकाय द्वारा स्वयं सम्पादित कराये जा सकेंगे।

2.3.2 प्रस्तर 2.3.1 में वर्णित श्रेणी के कार्यों के अतिरिक्त रू0 40 लाख से अधिक लागत की विभिन्न श्रेणी के कार्यों के विषयगत निम्न प्रक्रिया होगी:-

- 2.3.2(क) सम्पर्क मार्ग के ब्लैक टाप (बिटुमनस)/आर0सी0सी0/सी0सी0 किये जाने में कार्य लागत 40 लाख रू0 से अधिक होने पर इनका क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग से कराया जाएगा।
- 2.3.2(ख) भवन निर्माण में परियोजना का क्रियान्वयन लागत 40 लाख से अधिक होने पर संबंधित कार्य सी0एण्ड डी0एस0 उ0 प्र0 जल निगम द्वारा कराया जायेगा।
- 2.3.2(ग) पेयजल एवं सीवरेज से सम्बन्धित कार्य की लागत 40 लाख से अधिक होने पर उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से ही कार्य कराया जायेगा।
- 2.3.2(घ) जल निकासी/ड्रेनज के विषयगत पूर्व में निर्गत नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या 3788/नौ-5-2012-111बजट /2010,दिनांक 09.10.2012 समय-समय पर यथा संशोधित में वर्णित व्यवस्था/मानक के अनुरूप कार्य कराया जायेगा।
- 2.3.3 उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार निकाय द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों की श्रेणी व सीमा में कार्य हेतु संबंधित निकाय में सक्षम स्तर के अभियंता नियुक्त हैं तो तदनुसार उपरोक्त निकाय में नियुक्त अभियंतागण के पर्यवेक्षण में तदनुसार निकाय द्वारा स्वयं कार्य कराया जा सकेगा, परन्तु चूंकि अधिकांश निकाय में न केवल अवर अभियंता/सहायक अभियंता के रूप में पूर्णकालिक तकनीकी कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं बल्कि किसी भी नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत में सहायक अभियंता के ऊपर के तकनीकी अधिकारी जैसे कि अधिशासी अभियंता का पद पूर्णकालिक रूप से स्वीकृत नहीं हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत 2.3.1 में वर्णित व्यवस्थानुसार निकाय द्वारा सम्पादित कराये जा सकने वाली श्रेणी व सीमा तक के कार्य हेतु निम्न व्यवस्था की जायेगी:-
- 2.3.3(क) नगर विकास विभाग द्वारा निकायों में उपलब्ध अवर अभियंता/सहायक अभियंता में से यथावश्यकता एक से अधिक निकायों का कार्यभार अतिरिक्त रूप से दिया जा सकेगा। साथ ही उपरोक्तानुसार यदि किसी निकाय हेतु कोई अवर अभियंता/सहायक अभियंता विभाग द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त निकाय के समीपवर्ती किसी निकाय में कार्यरत

अभियंता (अवर/सहायक) अथवा किसी अन्य प्रशासकीय विभाग जैसे कि लो0नि0वि0, आर0ई0एस0, सिंचाई विभाग में कार्यरत अवर अभियंता/ सहायक अभियंता को अतिरिक्त रूप से उक्त निकाय में भी कार्य हेतु तदानुसार नामित करते हुए निकाय द्वारा स्वयं से कराये जाने वाले कार्यों के विषयगत तकनीकी मानव संसाधन की उपलब्धता तदनुसार सुनिश्चित करायी जायेगी।

चूंकि अधिशासी अभियंता का पद नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में स्वीकृत नहीं हैं। ऐसे जनपद जहां पर नगर निगम है वहां पर अधिशासी अभियंता अथवा उससे वरिष्ठ तकनीकी दक्षता वाले अधिकारी उपलब्ध हो वहां पर नगर विकास विभाग द्वारा उपरोक्त जनपद की निकायों में तदनुसार निकायों के कार्यों हेतु वरिष्ठ अभियंता (यथा अधिशासी अभियंता एवं उनसे उच्च श्रेणी के अभियंता) को नामित किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त प्रकार के वरिष्ठ श्रेणी के अभियंताओं के विषयगत विभाग द्वारा प्रभार हेतु नामित न किये जाने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा स्वविवेक से अभियंत्रण सेवा से संबंधित प्रशासकीय विभागों यथा लो0नि0वि0/आर0ई0एस0 /सिंचाई विभाग में से उपयुक्त अधिशासी अभियंताओं को तदनुसार जनपद की निकायों हेतु नामित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त हेतु यथावश्यकता पर्याप्त संख्या में तकनीकी अधिकारियों (अवर अभियंता/सहायक अभियंता/ अधिशासी अभियंता के रूप में) को तदनुसार जनपद की निकाय हेतु नामित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

### 2.3.3(ख)

निर्माण कार्य के आगणन, पर्यवेक्षण तथा कार्य की गुणवत्ता एवं मापन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक होगा कि निकायों में कार्य हेतु उपरिवर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रभारी/नामित किये गये अवर अभियंता द्वारा किसी एक समय में सम्बन्धित अवर अभियंता के द्वारा निकाय अन्तर्गत स्वयं के पर्यवेक्षण/प्रभार में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की कुल लागत की सीमा अधिकतम रू0 2.00 करोड़ तक की हो (उपरोक्त निर्माण कार्य की लागत गणना में मार्ग प्रकाश, इन्टरलाकिंग,

फुटपाथ एवं नाली के कार्य को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अर्थात् उपरोक्त श्रेणी के कार्यों को छोड़कर अन्य निर्माण कार्य जो संबंधित अवर अभियंता द्वारा पर्यवेक्षित किया जा रहा है उनकी कुल अधिकतम लागत रू0 2.00 करोड़ तक रहेंगी। उक्त सीमा से अधिक यदि कार्य निकायों में कराया जाना है तो किसी अन्य अवर अभियंता को तदनुसार पर्यवेक्षण हेतु कार्य आवंटित किया जायेगा)।

(टिप्पणी:- पर्यवेक्षण/प्रभार में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की लागत के विषयगत उपरोक्त वर्णित सीमा, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के बाद स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के विषयगत प्रभावी होगी और पूर्व से निर्माणाधीन कार्यों के विषयगत पर्यवेक्षण यथावत संबंधित द्वारा सुनिश्चित किया जाता रहेगा तथा उपरोक्त पूर्व से निर्माणाधीन कार्यों की लागत इसमें सम्मिलित नहीं की जायेगी परन्तु नये स्वीकृत जा रहे निर्माण कार्यों के विषयगत इस मार्ग-दर्शिका के निर्गत होने की तिथि से इसे प्रभावी माना जायेगा।)

- 2.3.3 (ग) निर्माण कार्य के आगणन, पर्यवेक्षण तथा कार्य की गुणवत्ता एवं मापन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक होगा कि निकायों में कार्य हेतु उपरिवर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रभारी/नामित किये गये सहायक अभियंता द्वारा किसी एक समय में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के द्वारा निकाय अन्तर्गत स्वयं के पर्यवेक्षण/प्रभार में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की कुल लागत की सीमा अधिकतम रू0 20.00 करोड़ तक की हो (उपरोक्त निर्माण कार्य की लागत गणना में मार्ग प्रकाश, इन्टरलाकिंग, फुटपाथ एवं नाली के कार्य को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अर्थात् उपरोक्त श्रेणी के कार्यों को छोड़कर अन्य निर्माण कार्य जो संबंधित सहायक अभियंता द्वारा पर्यवेक्षित किया जा रहा है उनकी कुल अधिकतम लागत रू0 20.00 करोड़ तक रहेंगी। उक्त सीमा से अधिक यदि कार्य निकायों में कराया जाना है तो किसी अन्य सहायक अभियंता को तदनुसार पर्यवेक्षण हेतु कार्य आवंटित किया जायेगा)।

(टिप्पणी:- पर्यवेक्षण/प्रभार में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की लागत के विषयगत उपरोक्त वर्णित सीमा, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के बाद स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के विषयगत प्रभावी होगी और पूर्व से निर्माणाधीन कार्यों के विषयगत पर्यवेक्षण यथावत संबंधित द्वारा सुनिश्चित किया जाता रहेगा तथा उपरोक्त पूर्व से निर्माणाधीन कार्यों की लागत इसमें सम्मिलित नहीं की जायेगी परन्तु नये स्वीकृत जा रहे निर्माण कार्यों के विषयगत इस मार्ग-दर्शिका के निर्गत होने की तिथि से इसे प्रभावी माना जायेगा।)

- 2.3.4 निर्माण कार्य का क्रियान्वयन शासकीय संस्था द्वारा किये जाने पर आगणन की तकनीकी स्वीकृति के विषयगत उक्त शासकीय संस्था द्वारा अपने विभागीय प्रचलित नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
- 2.3.5 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त सीमा को आच्छादित किये जाने के क्रम में परियोजना/कार्य अनावश्यक रूप से टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जायेगा अन्यथा उपरोक्त प्रकार के टुकड़ों में विभक्त कर कार्य कराये जाने हेतु उत्तरदायी अभियंता/अधिशाली अधिकारी के विरुद्ध सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानते हुए कठोर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अतएव संबंधित अभियंता/अधिशाली अधिकारी का दायित्व होगा कि कार्य के आगणन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि प्रस्तावित निर्माण कार्य अनावश्यक रूप से टुकड़ों में विभक्त कर निकाय द्वारा स्वयं कार्य कराये जाने की अनुमन्य वित्तीय सीमा के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने हेतु आगणन नहीं प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना/डी0पी0आर0 की प्रशासनिक/वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति-

निकाय द्वारा तैयार की गई डी0पी0आर0 की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के बाद परन्तु निविदा आमंत्रित करने के पूर्व कार्य के आगणन/परियोजना की तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगी। तकनीकी स्वीकृति किए जाने के विषयगत अभियंताओं की सीमा निम्नवत रहेगी:-

क्र.	अभियंता पदनाम	तकनीकी स्वीकृति की सीमा
1	निकाय हेतु प्रभारी/नामित सहायक अभियंता	40 लाख रु0 तक

2	निकाय हेतु प्रभारी/नामित अधिशासी अभियन्ता	40 लाख रू0 से ऊपर के कार्य
---	-------------------------------------------	----------------------------

#### 4. आगणन तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश-

आगणन तैयार करने के कार्य की प्रकृति के अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु निर्दिष्ट तकनीकी मैनुअल में निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जायेगा। उदाहरण के लिये सम्पर्क मार्ग हेतु इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्गत तकनीकी विशिष्टियां, पेयजल/सीवरेज/ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु CPHEEO द्वारा निर्गत मैनुअल आदि। आगणन तैयार करने वाले संबंधित अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि इस आशय का प्रमाण पत्र आगणन के प्रतिवेदन में अंकित करेंगे कि उपरोक्त कार्य/आगणन हेतु किस तकनीकी मैनुअल के आधार पर बनाया गया है। सामान्यता आगणन तैयार करने के लिए मदवार दरें निकाय क्षेत्र में प्रचलित पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट पर तैयार किये जाएंगे। कोई अतिरिक्त मद होने की स्थिति में उसका पूरा विश्लेषण करने के पश्चात अभियन्ता द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, तत्पश्चात वह दरें आगणन में लगाई जा सकती हैं। दरों के विषयगत निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

- 4.1 विकास कार्यों के आगणन- इस प्रकार के कार्यों हेतु निकाय क्षेत्र में प्रचलित पीडब्ल्यूडी एस0ओ0आर0 का उपयोग किया जाएगा।
- 4.2 सड़क तथा पुलिया इत्यादि का निर्माण- इस प्रकार के कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट के अनुसार आगणन तैयार किये जाएंगे यदि मद विशेष का पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट नहीं है तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट विश्लेषण के पश्चात दरें प्रयोग की जाएगी।
- 4.3 सीवर व पेयजल से सम्बन्धित कार्य- उपरोक्त प्रकृति के कार्य की दरें हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम के शेड्यूल का उपयोग किया जाएगा। जिन मदों की दरें जल निगम में उपलब्ध नहीं होंगी उनका पीडब्ल्यूडी/दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट/सीपीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर आगणन तैयार किया जाएगा।



- 4.4 भवन निर्माण के लिए जिन मदों हेतु उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट की दरें उपलब्ध नहीं होंगी उन मदों हेतु दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट की दरों का प्रयोग किया जा सकता है।
- 4.5 विद्युत कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी की एस0ओ0आर0 के न उपलब्ध होने पर दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट अथवा यूपीपीसीएल की शेड्यूल ऑफ रेट का उपयोग किया जा सकता है।

नोट—आगणन में दरों का विश्लेषण करने के लिए निम्न प्रक्रिया प्रयोग की जाएगी—

1. सामग्री, मजदूर, मशीनरी, कार्टेज, टूल व प्लान्ट की दरें विश्लेषण के लिए उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट की प्रयोग की जाएगी।
2. यदि दरें उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी शेड्यूल ऑफ रेट में नहीं हैं तो विश्लेषण हेतु दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट का प्रयोग किया जा सकता है।
3. बिटूमिन की दरों के लिए इण्डियन आयल कार्पोरेशन की समीपस्थ रिफाईनरी से दरें प्राप्त की जाएगी।

#### 5. निविदा आमंत्रित किये जाने में ध्यान रखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु—

- 5.1 निविदा का प्रकाशन 02 समुचित प्रसार वाले समाचार पत्रों में किया जाना होगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम से कम 01 समाचार पत्र ऐसा हो जोकि उक्त जिले में सर्वाधिक प्रचार—प्रसार की संख्या वाले प्रायः 03 समाचार पत्रों में से 01 हो। उक्त विषयगत जनपद में सर्वाधिक प्रचार—प्रसार वाले प्रमुख 03 समाचार पत्रों की सूचना जिला सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
- 5.2 निविदा सूचना में कार्य का जिसका नाम क्रियान्वयन किया जाना है, कार्य को पूर्ण करने की अवधि का विवरण तथा earnest money एवं Security Deposit की धनराशि का अंकन किया जाना चाहिये तथा निविदा प्राप्त करने के सम्बन्ध में विवरण, निर्धारित स्थल तथा समय को भी सूचित किया जाएगा।
- 5.3 सामान्य दशा में 40 लाख से कम कार्यों की निविदा अवधि 21 दिन होगी तथा 40 लाख से अधिक के कार्यों की निविदा हेतु 1 माह का समय रखा जाएगा। यदि अपरिहार्य आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त अवधि को कम करना है तो वित्त विभाग के द्वारा समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों

- के अनुसार तदविषयक कार्यवाही करने हेतु बोर्ड/जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 5.4 निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई भी टेण्डर Submission हेतु स्वीकार्य नहीं किये जाएंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
  - 5.5 प्रत्येक टेण्डर में यह अंकित करना अनिवार्य होगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
  - 5.6 बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
  - 5.7 निविदा आमंत्रित किये जाने के विषयगत ई-टेण्डर आमंत्रित किये जाने संबंधी नियमों का अनुपालन भली-भांति सुनिश्चित किया जायेगा और समस्त निविदाओं को भली-भांति समुचित प्रचार-प्रसार के साथ आमंत्रित किया जायेगा जिससे की निविदा में प्रतिस्पर्धा/पारदर्शिता सुनिश्चित रहे।
  - 5.8 निविदा में जमानत धनराशि प्रचलित शासनादेशों में निर्दिष्ट सीमा से कम नहीं होनी चाहिए। तथा यह धनराशि निकाय द्वारा EPVG, FDR, NSC/Tragary Challan इत्यादि के माध्यम से जमा की जा सकती हैं। निविदा की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आगणन की 10 प्रतिशत की धनराशि Security के रूप में निकाय में जमा करनी होगी तथा यह Security कार्य पूर्ण होने के 12 माह के पश्चात कार्य के संतोषजनक पाये जाने के बाद ही वापिस की जाएगी। Security money को वापिस करते समय अभियन्त्रण विभाग द्वारा रिफण्ड बाउचर तैयार किया जाएगा जिसमें कार्य के पूर्ण होने की तिथि व भुगतान अंतिम बिल के साथ निम्न प्रमाणपत्र दिये जाएंगे—

*अभियन्ता यह प्रमाणित करेगा कि ठेकेदार द्वारा निविदा की समस्त शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिया है तथा कार्य संतोषजनक है साथ ही ठेकेदार निविदा के अनुसार यह धनराशि देय हो गई है तत्पश्चात लेखा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जमानत धनराशि अवमुक्त की जाएगी।*

## 6. निविदा स्वीकृत प्रक्रिया—

कार्यों की निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही निविदा समिति के माध्यम से की जाएगी जो कि निम्नवत् होगी —

1. अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत	—	अध्यक्ष
2. लेखा विभाग के प्रतिनिधि	—	सदस्य
3. नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों पालिका के अभियन्ता	—	सदस्य

उपरोक्त निविदा समिति अपनी संस्तुति नियमानुसार सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात अनुबंध के निष्पादन के पश्चात निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

## 7. निर्माण कार्यों का निष्पादन—

- 7.1 निकाय में निर्माण कार्यों का निष्पादन उत्तर प्रदेश नगर पालिका लेखा नियमावली भाग - 5 लोक निर्माण कार्य में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। (चैप्टर - 5 संलग्नक - 1)
- 7.2 माप पुस्तिका का परीक्षण किया जाना -

7.2.1 अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत बिल का निकाय द्वारा भुगतान किये जाने से पूर्व सहायक अभियन्ता को भुगतान हेतु भेजने से पूर्व कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री शतप्रतिशत सत्यापन/निरीक्षण किया जायेगा। सहायक अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि निर्माण में प्रयुक्त हो रही सामग्री का माप पुस्तिका के आधार पर शतप्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करेंगे साथ ही रैन्डम आधार पर समय-समय सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा के विषयगत स्थलीय सत्यापन भी स्वयं सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त सत्यापन रिपोर्ट तिथिवार माप पुस्तिका के साथ संलग्न की जायेगी सहायक अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि निर्माण कार्यों के विषयगत तकनीकी मैनुअल में निर्दिष्ट टेस्ट रिपोर्ट के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के विषयगत कार्यवाही स्वयं अपने दिशा-निर्देशन में सुनिश्चित करायेंगे और न्यूनतम 50 प्रतिशत टेस्ट हेतु नमूना सामग्री/सैम्पल एकत्रित किये जाने की कार्यवाही के समय स्वयं कार्य स्थल पर उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त प्रक्रिया विषयगत रिपोर्ट में मयफोटोग्राफ उनके द्वारा तैयार की जायेगी।

7.2.2 निर्माण कार्यों के विषयगत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 1857एम0टी0/61एम0टी0/99, दिनांक 26.06.1999 के माध्यम

से जारी की गयी प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्यतः संबंधित कार्य से जुड़े हुए अभियंताओं द्वारा स्थलीय सत्यापन निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा और उपरोक्त विषयगत उपस्थिति तथा रिपोर्ट पत्रावली में मयफोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में संलग्न की जायेगी, जिसकी भली-भांति पुष्टि करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।

#### 8. कार्यों की गुणवत्ता का थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग/चेकिंग

ऐसे निर्माण कार्य जिनकी वित्तीय लागत रूपये 10.00 लाख से अधिक है और कार्यदायी संस्था के रूप में कोई शासकीय अभिकरण/विभाग नामित न हो कर स्वयं संबंधित निकाय (यथा नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद) द्वारा कार्य कराया जाता है तो उपरोक्त कार्यों का थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन अनिवार्यतः न्यूनतम 02 स्टेज (आवश्यकता पड़ने पर 02 से अधिक बार भी) पर अवश्य कराया जायेगा।


प्रथम स्टेज में कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत होने के पश्चात एवं द्वितीय स्टेज में निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात उपयोग में लाये जाने के पूर्व थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन कराया जायेगा। रू0 40 लाख तक की सीमा के कार्यों के थर्ड पार्टी मूल्यांकन/निरीक्षण जनपद के प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय द्वारा नामित सहायक अभियन्ता तथा रू0 40 लाख से अधिक के कार्यों हेतु थर्ड पार्टी मूल्यांकन/निरीक्षण जनपद के प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय द्वारा नामित अधिशासी अभियंता द्वारा किया जाएगा।

निरीक्षण करने वाले संबंधित अभियंता का यह दायित्व होगा कि निर्धारित प्रारूप पर स्वयं स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता के बारे में स्पष्ट रूप से आख्या/निरीक्षण रिपोर्ट पेशित की जायेगी और यदि उनके द्वारा पेशित रिपोर्ट में कार्य के अधोमानक होने अथवा गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो तदनुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्य की गुणवत्ता को सही करने का दायित्व संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का होगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बगैर उपरिवर्णित प्रक्रिया के अनुसार थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन की प्रथम स्टेज की रिपोर्ट प्राप्त किये हुए कार्य के 50 प्रतिशत की प्रगति के उपरान्त का कोई भुगतान न किया जाये; साथ ही किसी भी कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपरोक्तानुसार थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या (स्टेप-02) संतोषजनक होने के

क्रम में ही संबंधित कार्य द्वारा सृजित सम्पत्ति को उपयोग में लाया जाये। कार्य की गुणवत्ता में यदि कोई कमी निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित की जाती है तो उक्त कमियों के निराकरण कराने का दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी का होगा।

निकाय क्षेत्र में कार्यों को गुणवत्ता से सम्पादित कराने का दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी अभियंताओं का होगा। अतः संबंधित अधिकारीगण कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे तथा निरीक्षणोपरान्त विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी जारी करेंगे एवं निरीक्षण टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक किये गये निरीक्षण की एक प्रति प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को अवश्य प्रेषित की जायेगी। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता/ब्लास्ट /ग्रिट आदि के गेज, मिटटी के कम्पेन्शन का धनत्व एवं क्रस्ट आदि की विशेष रूप से जाँच की जाये तथा जो कमियाँ पाई जायें उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में अंकित किया जाये।

यदि किसी निर्माण कार्य की जाँच में कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई जाती है या त्रुटिपूर्ण मापी के कारण अधिक भुगतान हुआ पाया जाता है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण शासन को हानि होनी पायी जाती है तो उस हानि की वसूली 50 प्रतिशत ठेकेदार से तथा 50 प्रतिशत उत्तरदायी विभागीय/अधिकारियों/कर्मचारियों से की जाये। अधिकारियों /कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत अवर अभियंता से, 35 प्रतिशत सहायक अभियंता से तथा 10 प्रतिशत अधिशासी अभियंता से, 5 प्रतिशत अधिशासी अधिकारी से की जाये। ठेकेदार से यह वसूली उसके अवशेष विभागीय देयों से की जाये तथा यदि यह सम्भव न हो तो उससे यह वसूली भू-राजस्व की भाँति जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जायेगी।

  
(मोहम्मद वासिफ)  
अनु सचिव  
नगर विकास विभाग  
उ०प्र० शासन।